

कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड,
राँची।

9

कार्यालय आदेश संख्या :- ३४

राँची-2 दिनांक :- 19/5/15

वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिसूचना संख्या सं०सं०-4/यो०
बजट-42/2010-2371 व०प०, दिनांक 05.05.2015 द्वारा वृक्षारोपण एवं पौधशाला कार्य हेतु
दर निर्धारण के लिए राज्य स्तर पर एक स्थाई समिति का गठन किया गया।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची की अध्यक्षता में
राज्य स्तरीय दर निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 15.05.15 को आयोजित की गई।

समिति द्वारा समीक्षोपरान्त रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त
वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन
देने) हेतु अनुसूचित कार्य दर अनुशंसा की गई। समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रधान
मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची द्वारा दर का अनुमोदन किया गया। विभागीय एवं
गैर-विभागीय श्रोत से प्राप्त राशि से क्रियान्वन की जाने वाली रंगिनी लाह उत्पादन को
प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन
हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) हेतु कार्य दरें समान रूप से लागू होंगी। यह दर आदेश
के तत्काल प्रभाव से वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लागू होंगे एवं वृक्षारोपण दर के अगले
पुनरीक्षण तक प्रभावी रहेगा।



रंगिनी लाह उत्पादन हेतु संशोधित कार्य दर तालिका

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2017-18 तक कार्यान्वित की जाने वाली रंगिनी लाह उत्पादन को प्रोत्साहन देने (संयुक्त वन प्रबंधन (JFM) के अंतर्गत स्वयं समूह ग्रुप द्वारा लाह उत्पादन हेतु कृषकों को प्रोत्साहन देने) की योजना की कार्य दर लाह पोषक प्रजाति पलाश के वृक्षों की संख्या-12500 प्रति प्रमण्डल (10 वृक्ष प्रति लाभुक परिवार, कुल 1250 लाभुक परिवार)

(रु० लाख में)

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 208.17 (वृद्धि 10 प्रतिशत)					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 228.79 (वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए 10 प्रतिशत की वृद्धि)					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
1	वृक्षों का विहंगम	रु० 2.85 प्रति वृक्ष	12500 वृक्ष	0.331	0.000	0.000	0.331		0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.331	प्रति लाभुक परिवार 10 पलाश के वृक्षों का विहंगम किया जाएगा जिसे 5-8 वृक्षों के दो सेट में बांटा जाएगा। प्रथम वर्ष में सेट-1 एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई करवरी/मार्च माह में की जाएगी।
2	प्रशिक्षण																		
	(क) हितग्राही परिवारों के एक-एक सदस्य को समूहों में INRG के लाह वैज्ञानिकों द्वारा प्रशिक्षण	100 रु० प्रति परिवार प्रति वर्ष			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250			1.000	0.250	1.250	3.750	
	(ख) लाह पर्यवेक्षक एवं 12 CRP (Community Resource Person) एक-एक शिक्षित सदस्य / प्रति 100 परिवार को मास्टर ट्रेनर्स के रूप में भारतीय प्राकृतिक राल एवं गोद संस्थान, नामकुम, रौंजी में एक सप्ताह का प्रशिक्षण	2000 रु० प्रति प्रशिक्षणार्थी				0.260	0.260					0.000					0.000	0.260	
3	दूलकीट एवं अन्य सामग्री	रु० 1775/- प्रति दूलकीट: 100 वृक्षों पर एक कीट			2.219		2.219					0.000					0.000	2.219	प्रथम वर्ष फरवरी/मार्च में सेट-1 के 6250 वृक्षों की कटाई-छटाई (50 वृक्ष प्रति 10 लाभुक परिवार) एवं द्वितीय वर्ष में सेट-2 के वृक्षों की कटाई-छटाई की जाएगी।
4	वृक्षों की कटाई-छटाई	1 मानव दिवस प्रति 5 वृक्ष	6250 वृक्ष	2.343			2.343	6250 वृक्ष	2.577			2.577					0.000	4.920	
5	बीहन लाह का क्रय	700 ग्राम प्रति वृक्ष: रु० 315.00 प्रति कि०ग्रा०					0.000	6250 वृक्ष		13.781		13.781	गत वर्ष उत्पादित बीहन से 6250 वृक्ष				0.000	13.781	बीहन लाह का क्रय विविध के माध्यम से किया जाएगा।
6	संचारण व्यय	1 मानव दिवस प्रति 20 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.644			0.644	6250 वृक्ष	0.709			0.709	1.353	क्रय किए गए बीहन लाह से द्वितीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में बीहन लाह का संचारण सेट-1 के वृक्षों पर किया जाएगा तथा तृतीय वर्ष के अक्टूबर/नवंबर माह में सेट-2 के वृक्षों पर संचारण किया जाएगा जिससे निर सेट-1 के वृक्षों से प्राप्त बीहन लाह का उपयोग किया जाएगा।
7	फसल संरक्षण पर व्यय	30 रु० प्रति वृक्ष (कीटनाशक इत्यादि)					0.000	6250 वृक्ष		1.875		1.875	6250 वृक्ष		1.875		1.875	3.750	

क्र० सं०	कार्य का विवरणी	दर	प्रथम वर्ष 2015-16 मजदूरी प्रति मानव दिवस 187.43					द्वितीय वर्ष 2016-17 मजदूरी प्रति मानव दिवस 208.17 (वृद्धि 10 प्रतिशत)					तृतीय वर्ष 2017-18 मजदूरी प्रति मानव दिवस 228.79 (वित्तीय वर्ष 2017-18 को आधार मानते हुए 10 प्रतिशत की वृद्धि)					सकल योग	अभ्युक्ति
			भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय	भौतिक लक्ष्य	मजदूरी	सामग्री	प्रशिक्षण	कुल व्यय		
8	कीटनाश छिड़काव हेतु रॉकिंग स्प्रे (गटोर) मशीन	1 मशीन प्रति 10 लाभुक परिवार @ 8000/-								7.500		7.500					0.000	7.500	
9	फुन्की का स्कैपिंग एवं संग्रहण	4 मानव दिवस प्रति 100 वृक्ष					0.000	6250 वृक्ष	0.515			0.515	6250 वृक्ष	0.567			0.567	1.082	
10	तकनीकी सहायता (विशेषज्ञों एवं लाह पर्यवेक्षकों का यात्रा व्यय सहित)				0.250		0.250			0.250		0.250		0.000	0.250		0.250	0.750	
11	लाह पर्यवेक्षकों को मानदेय	1 पर्यवेक्षक @ Rs. 5000/- पर्यवेक्षक प्रति माह	1 पर्यवेक्षक (6 माह)	0.300	0.000	0.000	0.300	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1 पर्यवेक्षक (12 माह)	0.600	0.000	0.000	0.600	1.500	
12	CRP (Community Resource Person) को मानदेय	12 CRP @ 2000/- प्रति माह	12 CRP (6 माह)	1.440			1.440	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	12 CRP (12 माह)	2.880			2.880	7.200	
13	अन्य आकस्मिक व्यय (बोर्ड/प्लास्टिक रस्सी, रंग, पेंट, स्टेशनरी इत्यादि)			0.000	0.500		0.500			0.500		0.500			0.500		0.500	1.500	
	कुल			4.414	3.969	0.510	8.893		7.217	24.906	0.250	32.373		4.756	3.625	0.250	8.631	49.896	
16	Concurrent Monitoring and Evaluation (Including MIS, documentation, data Collection, reports, case studies etc.)	@ 2 % of Project cost			0.178		0.178			0.647		0.647			0.173		0.173	0.998	
	सकल योग			4.414	4.147	0.510	9.071		7.217	25.553	0.250	33.020		4.756	3.798	0.250	8.803	50.894	

नोट : वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए मजदूरी दर श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर 187.43 रुपये प्रति मानव दिवस के आधार पर योजना का प्राक्कलन तैयार किया


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची।

ज्ञापांक :- 475

दिनांक :- 19/5/15

प्रतिलिपि :-

1. प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जैव विविधता संरक्षण एवं मुख्य वन्य प्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह- कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास पर्यद, झारखण्ड, राँची
5. सभी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
6. सभी मुख्य वन संरक्षक
7. सभी क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक
8. सभी वन संरक्षक
9. सभी वन प्रमंडल पदाधिकारी

को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची